# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

**सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 29/2024**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम, जोधपुर | | मनोज विश्नोई पुत्र रामलाल विश्नोई निवासी 29 ढाकों की ढाणी बुद्ध नगर, जालेली दईकडा, जोधपुर पिन कोड 342027 |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000**

उपस्थिति–
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2 अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार विश्नोई।

## निर्णय

दिनांक 12.06.25

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी मनोज विश्नोई पुत्र रामलाल विश्नोई निवासी 29 ढाकों की ढाणी, बुद्ध नगर,जालेली दईकडा, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 19 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों 02 पाईप मय रेगुलेटर व नोजल लगे हुए, एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्टी को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2024 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा बनाड रोड स्थित लवकुश विहार खोखरिया स्थित मकान की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति मनोज विश्नोई पुत्र रामलाल विश्नोई द्वारा मौके पर बडे गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर 10 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 10 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर लोडिंग टैक्सी में तथा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 7 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मैदान में रखे हुए एंव 02 पाईप मय रेगुलेटर



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

व नोजल लगे हुए, एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्टी पाये गये तथा अप्रार्थी मौके से फरार होना बताया गया। मौके पर पाए गये 19 घरेलु गैस सिलेण्डर व 17 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

| क्र. स. | गैस कम्पनी का नाम | एस.आर. नम्बर | सिलेण्डर का वजन | कुल वजन | गैस का वजन (किलो में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इण्डेन | 018986 (S) | 19.2 कि.ग्रा. | 19.2 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |
| 2. | इण्डेन | 227477 (T) | 19.1 कि.ग्रा. | 19.4 कि.ग्रा. | 0.3 कि.ग्रा. |
| 3. | एच.पी.सी.एल | अस्पष्ट | 19 कि.ग्रा. | 38.0 कि.ग्रा. | 19.0 कि.ग्रा. |
| 4. | बी.पी.सी.एल | 332 | 19.5 कि.ग्रा. | 19.7 कि.ग्रा. | 0.2 कि.ग्रा. |
| 5. | बी.पी.सी.एल | 11688 | 19.2 कि.ग्रा. | 36.8 कि.ग्रा. | 17.6 कि.ग्रा. |
| 6. | इण्डेन | 01660(E) | 19.4 कि.ग्रा. | 38.4 कि.ग्रा. | 19.0 कि.ग्रा. |
| 7. | बी.पी.सी.एल | 050238(S) | 19.3 कि.ग्रा. | 19.5 कि.ग्रा. | 0.2 कि.ग्रा. |
| 8. | एच.पी.सी.एल | 025872(T) | 19.8 कि.ग्रा. | 38.8 कि.ग्रा. | 19.0 कि.ग्रा. |
| 9. | इण्डेन | अस्पष्ट | 19.4 कि.ग्रा. | 21.8 कि.ग्रा. | 2.4 कि.ग्रा. |
| 10. | एच.पी.सी.एल | 0022085 | 19.3 कि.ग्रा. | 19.7 कि.ग्रा. | 0.4 कि.ग्रा. |
| 11. | एच.पी.सी.एल | 000494(T) | 19.0 कि.ग्रा. | 19.4 कि.ग्रा. | 0.4 कि.ग्रा. |
| 12. | बी.पी.सी.एल | अस्पष्ट | 19.5 कि.ग्रा. | 20.5 कि.ग्रा. | 1.0 कि.ग्रा. |
| 13. | इण्डेन | 016696(T) | 19.0 कि.ग्रा. | 37.9 कि.ग्रा. | 18.9 कि.ग्रा. |
| 14. | एच.पी.सी.एल | 008053(B) | 19.2 कि.ग्रा. | 25.7 कि.ग्रा. | 6.5 कि.ग्रा. |
| 15. | इण्डेन | 89740(B) | 19.0 कि.ग्रा. | 35.4 कि.ग्रा. | 16.4 कि.ग्रा. |
| 16. | एच.पी.सी.एल | 015849(T) | 19.2 कि.ग्रा. | 38.2 कि.ग्रा. | 19.0 कि.ग्रा. |
| 17. | इण्डेन | 029889(S) | 19.5 कि.ग्रा. | 20.5 कि.ग्रा. | 1.0 कि.ग्रा. |
| 18. | इण्डेन | 956258(E) | 15.7 कि.ग्रा. | 29.7 कि.ग्रा. | 14.0 कि.ग्रा. |
| 19. | इण्डेन | 161083(S) | 15.6 कि.ग्रा. | 28.9 कि.ग्रा. | 13.3 कि.ग्रा. |
| 20. | इण्डेन | 458495(T) | 15.2 कि.ग्रा. | 29.1 कि.ग्रा. | 13.9 कि.ग्रा. |
| 21. | इण्डेन | 180202(E) | 15.4 कि.ग्रा. | 29.4 कि.ग्रा. | 14.0 कि.ग्रा. |
| 22. | इण्डेन | 242952(T) | 15.3 कि.ग्रा. | 16.0 कि.ग्रा. | 0.7 कि.ग्रा. |
| 23. | इण्डेन | 422113(J) | 15.6 कि.ग्रा. | 16.6 कि.ग्रा. | 1.0 कि.ग्रा. |
| 24. | इण्डेन | 184016(T) | 15.6 कि.ग्रा. | 16.5 कि.ग्रा. | 0.9 कि.ग्रा. |
| 25. | इण्डेन | 122731(S) | 15.4 कि.ग्रा. | 16.4 कि.ग्रा. | 1.0 कि.ग्रा. |
| 26. | इण्डेन | 137942(J) | 15.6 कि.ग्रा. | 15.8 कि.ग्रा. | 0.2 कि.ग्रा. |
| 27. | इण्डेन | 739010(T) | 15.4 कि.ग्रा. | 15.4 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |
| 28. | इण्डेन | अस्पष्ट | 15.5 कि.ग्रा. | 16.8 कि.ग्रा. | 1.3 कि.ग्रा. |
| 29. | इण्डेन | 0618484(T) | 15.8 कि.ग्रा. | 29.1 कि.ग्रा. | 13.3 कि.ग्रा. |
| 30. | इण्डेन | 414385(S) | 15.5 कि.ग्रा. | 20.2 कि.ग्रा. | 4.7 कि.ग्रा. |
| 31. | इण्डेन | 379146(S) | 15.6 कि.ग्रा. | 15.6 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |
| 32. | इण्डेन | 23188(A) | 15.6 कि.ग्रा. | 15.6 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |
| 33. | इण्डेन | 096822 | 15.9 कि.ग्रा. | 29.9 कि.ग्रा. | 14.0 कि.ग्रा. |
| 34. | इण्डेन | 04142 | 15.6 कि.ग्रा. | 29.6 कि.ग्रा. | 14.0 कि.ग्रा. |
| 35. | इण्डेन | 896282 | 15.4 कि.ग्रा. | 29.6 कि.ग्रा. | 14.2 कि.ग्रा. |
| 36. | इण्डेन | 884216 | 15.6 कि.ग्रा. | 29.8 कि.ग्रा. | 14.2 कि.ग्रा. |

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

उक्त 19 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों 02 पाईप मय रेगुलेटर व नोजल लगे हुए, एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्टी को जब्त सरकार किया जाकर श्री सुखराम चौधरी पुत्र श्री राजुराम चौधरी उम्र 44 वर्ष जाति जाट प्रतिनिधि श्री कृष्ण सांवरा गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों तथा सामग्री का अवैध भण्डारण कर अवैध रिफलिंग में उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 19 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों 02 पाईप मय रेगुलेटर व नोजल लगे हुए,एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्टी को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर 19 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 02 पाईप मय रेगुलेटर व नोजल लगे हुए, एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्टी को अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य किया जाना पाया गया तथा जांच टीम को देखकर अप्रार्थी मौके से फरार हुआ। मौके पर उक्तानुसार अवैध रूप से गैस सिलेण्डर तथा गैस रिफलिंग सामग्री पाई गई,ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त सिलेण्डर व सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार विश्नोई ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा परिवार में विवाह समारोह होने के कारण भोजन निर्माण हेतु उक्त 17 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर तथा 19 घरेलु गैस सिलेण्डर रिश्तेदारों से एकत्रित किये गये है, अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य नंही किया जाता है, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए वास्ते सबुत विवाह निमंत्रण कार्ड प्रति भी प्रस्तुत की गई है, इसलिए उक्त कुल 36 गैस सिलेण्डरों को राज्यसात नहीं किये जावें। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त उक्त



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

36 गैस सिलेण्डर (19 घरेलु गैस सिलेण्डर 17 व्यवसायिक गैस सिलेंडर) को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुसार उक्त सिलेण्डर विवाह समारोह में भोजन सामग्री बनाने हेतु एकत्रित किये गये थे, चूंकि विवाह समारोह में घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना कानूनन वर्जित है, मौके पर गैस रिफलिंग सामग्री पाये जाने के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर 19 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों 02 पाईप मय रेगुलेटर व नोजल लगे हुए,एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्‌टी को अवैध रूप से पाये गये तथा अप्रार्थी का जांच टीम को देखकर मौके से फरार होना बताया गया। मौके पर उक्त सिलेण्डरों व रिफलिंग सामग्री का अवैध रूप से पाया जाना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसूदा सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग कार्य हेतु किया गया है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 19 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों 02 पाईप मय रेगुलेटर व नोजल लगे हुए,एक इलेक्ट्रीक हेण्ड वैगिंग कांटा, एक लोहे की बांसूरी तथा एक बर्नर वाली गैस भट्‌टी को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा उक्त कुल 36 गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)